कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/सी–7/स्थानान्तरण/हिन्दी/2016 दिनांक 30.07.2018 द्वारा दिनेश कुमार यादव व्या. हिन्दी राउमावि. रोड़वाल – नीमराना – अलवर का स्थानान्तरण राउमावि टिकारी–कठूमर–अलवर किया गया था । श्री दिनेश कुमार यादव द्वारा आदेश क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–7/स्थानान्तरण/हिन्दी/2016 दिनांक 30.07.2018 के क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या संख्या 18370/2018 दायर की गई । माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 27.08.18 को निर्णय पारित करते हुए याचिकार्थी को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभाग को उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये ।

उक्त निर्देशानुसार दिनेश कुमार यादव ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अभ्यावेदन का गहनता पूर्वक अध्ययन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि स्थानान्तरण विभाग की आवश्यकता एंव प्रशासनिक व्यवस्था के तहत किया गया और व्याख्याता का पद राज्य स्तर का है अतः पूरे राज्य में इनकी सेवा कही भी ली जा सकती है ।

अतः श्री दिनेश कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है । जिससे सभी संबधित सूचित हो ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–7/कोर्ट केस/दिनेश कुमार यादव/अपील सं.18370–18/ दिनांक–18-01-19
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6. संबधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर